न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1398

1. शैतान लाल पुत्र हणमान,
2. लक्ष्मण राम पुत्र भागीरथ,
3. मूलचन्द पुत्र स्वर्गीय श्री गणपत राम,
   समस्त जाति बलाई (मेघवंशी), निवासीगण ग्राम सुखपुरा तहसील खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. पूर्णी देवी पत्नी श्री हीरालाल गोर्सिया,
2. शारदा देवी पत्नी हुकमचन्द,
   जाति गुर्जर, निवासी गोर्सियों की ढाणी, तन सुखपुरा गुरारा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान।
3. अणत कंवर पुत्री श्री भवानी सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम गुरारा, तहसील खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान।
4. भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर राजस्थान।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 04.11.2024 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट उनवानी पूर्णी देवी व अन्य बनाम अणत कंवर व अन्य मुकदमा नंबर 104/2024 पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री ओमप्रकाश सामोता, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री लालचन्द जाट, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 बाद तामील अनुपस्थित।
4. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 09.02.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 04.11.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 23.05.2025 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का गुरारा तहसील खण्डेला, जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 594 रकबा 0.16 है0, ख0न0 595 रकबा 0.08 है0, 596 रकबा 0.28 है0 सम्पूर्ण की प्रार्थीगण व ख0नं0 597/1 रकबा 0.37 है0 के 33/37 भाग की प्रार्थीगण एवं 4/37 भाग की अनावेदक/अप्रार्थीगण संख्या 1 खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण एवं अनावेदक/अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमियां है। जिसकी सीमाएं मौके पर स्पष्ट एवं स्थाई सीमा चिन्ह अर्थात पत्थरगढ़ी नहीं होने की वजह से उक्त भूमि के सीमाओं के पड़ौसी काश्तकारों से विवाद की आशंका बनी रहती है। प्रार्थीगण की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 22.03.2023 को पटवारी हल्का गुरारा द्वारा मौके पर जाकर किया गया तथा फर्द मौका सीमाज्ञान तैयार किया गया था।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खण्डेला को आदेश दिये गये कि ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का गुरारा तहसील खण्डेला के ख0नं0 594 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 595 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 596 रकबा 0.28 है0 सम्पूर्ण व ख0नं0 597/1 रकबा 0.37 है0 कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण किये जाने एवं खातेदार की भूमि पर संबंधित खातेदार के हर्जा खर्चे पर सीमा विभाजक रोपित करवाने तथा थानाधिकारी खण्डेला वक्त कार्यवाही मौके पर आवश्यकतानुसार पुलिस इमदाद उपलब्ध करवाये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2024 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 04.11.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 04.11.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2024 विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में तथ्यात्मक व कानूनी त्रुटि की है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.11.2024 को अपास्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 594 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 595 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 596 रकबा 0.28 हैक्टेयर सम्पूर्ण की प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व खसरा नम्बर 597/1 रकबा 0.37 हैक्टेयर के 33/37 भाग की प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं 4/37 की भूमि बाबत् पत्थरगढी करवाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.11.2024 को पारित किया गया है उन वर्णित खसरा नम्बरान के लगती हुई कृषि भूमि खसरा नम्बर 591, 585, 586 की भूमि अपीलार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। उसके बावजूद भी अपीलार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाते हुए पत्थरगढी करवाने बाबत् प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है उक्त जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को भली प्रकार से होने तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलार्थीगण के पूर्वजों की भूमि रेस्पोडेन्टस की भूमि के लगती हुई भूमि होने के तथ्यों को छिपाते हुए पत्थरगढी का आवेदन किया गया है उक्त तथ्य पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जबकि कानूनी प्रावधानों के अनुसार जिन खसरा नम्बरान की भूमि बाबत् पत्थरगढी करवायी जानी है उन खसरा नम्बरान की भूमि के लगते हुए अन्य खसरा नम्बरान की भूमि के खातेदारों को पक्षकार बनाते हुए आवेदन किये जाने का प्रावधान है तथा उनको सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए लेकिन उक्त प्रावधानों की अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत पारित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय से रेस्पोडेन्ट द्वारा जिन खसरा नम्बर 594 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 595 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 596 रकबा 0.28 हैक्टेयर सम्पूर्ण की प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व खसरा नम्बर 597/1 रकबा 0.37 हैक्टेयर के 33/37 भाग की प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं 4/37 की भूमि बाबत् पत्थरगढी करवाने का आदेश चाहा गया है इन खसरा नम्बरान की भूमि बाबत् अपीलार्थीगण व अन्य व्यक्तियों द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 व अन्य के विरूद्ध एक वाद पत्र संख्या 737/2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर में लम्बित है, की जानकारी होने के बावजूद भी उक्त तथ्यों को छिपाते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को मुगालते में रखते हुए अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय से पारित करवाया है जो आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत पारित होने से खारिज किये जाने योग्य है। खसरा नम्बर पुराना 375/1 जिसके नये खसरा नम्बर 592, 593, 594, 595, 596, 597, 597/1, 597/2, है की कृषि भूमि अपीलार्थीगण व अपीलार्थीगण के पूर्वजों की भूमि है तथा प्रथम सेटलमेन्ट के पूर्व से ही अपीलार्थीगण के पूर्वज तथा उसके बाद अपीलार्थीगण उक्त वर्णित कृषि भूमि पर काबिज काश्त होकर उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा उक्त वर्णित खसरा नम्बर 596 व 593 में अपीलार्थीगण ने मकान व बाडे इत्यादि बनाकर कई वर्षों से उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा उक्त वर्णित खसरा नम्बरों की भूमि बाबत् दुरूस्ती बाबत् दावा उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के समक्ष पेश कर रखा है जो लम्बित है तथा उक्त वर्णित खसरा नम्बरों की भूमि के लगती हुई अपीलार्थीगण के पूर्वजों की भूमि खसरा नम्बर 585, 591, 586, इत्यादि स्थित है उक्त तथ्यों की जानकारी अपीलार्थीगण व उनके अधिवक्ता को होने के बावजूद भी खसरा नम्बर 591, 585, 586 के खातेदारों व अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये ही तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व पारित किया गया है उक्त आदेश से अपीलार्थीगण व अपीलार्थीगण के पूर्वजों के खातेदारी व विधिक अधिकार प्रभावित होगें तथा अपीलार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी रूप में नहीं हो सकती तथा रेस्पोडेन्टस अनुचित रूप से अपीलार्थीगण की भूमि पर अपीलाधीन आदेश की आड में काबिज हो जायेगें तथा अपने अवैध उद्देश्य में सफल हो जायेगे। इसलिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2024 को न्याय हित में निरस्त व अपास्त किया जाना आवश्यक व प्रार्थनीय है।

उक्त अपील विधि विधान के प्रावधानों के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2024 की जानकारी दिनांक 10.05.2025 को रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थीगण की भूमि पर आकर तोड फोड करने की धमकी देने तथा अपीलााधीन आदेश दिनांक 04.11.2024 की जानकारी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा अपीलार्थीगण को देने एवं अधीनस्थ न्यायालय में जाकर प्रकरण की जानकारी करने पर दिनांक 13.05.2025 को प्रकरण की जानकारी होने तथा दिनांक 14.05.2025 को अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने से धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 04.11.2024 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की उक्त अपील को स्वीकार फरमाया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांकित 04.11.2024 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 104/2023 में पारित किया गया है को निरस्त व अपास्त फरमाये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का गुरारा तहसील खण्डेला, जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 594 रकबा 0.16 है0, ख0न0 595 रकबा 0.08 है0, 596 रकबा 0.28 है0 सम्पूर्ण की प्रार्थीगण व ख0नं0 597/1 रकबा 0.37 है0 के 33/37 भाग की प्रार्थीगण एवं 4/37 भाग की अनावेदक/अप्रार्थीगण संख्या 1 खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण एवं अनावेदक/अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमियां है। जिसकी सीमाएं मौके पर स्पष्ट एवं स्थाई सीमा चिन्ह अर्थात पत्थरगढ़ी नहीं होने की वजह से उक्त भूमि के सीमाओं के पड़ौसी काश्तकारों से विवाद की आशंका बनी रहती है। प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 22.03.2023 को पटवारी हल्का गुरारा द्वारा मौके पर जाकर किया गया तथा फर्द मौका सीमाज्ञान तैयार किया गया था। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर बदस्तूर कब्जा काश्त होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2024 पारित किये गये। उक्त पत्थरगढी के आदेश की पालना में दिनांक 16.04.2025 को मौके पर खसरा नंबर 594, 595, 596, 597/1 की पत्थरगढी की जा चुकी है, जब अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.11.2024 के विरूद्व की गयी अपील आधारहीन हो चुकी है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है, जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावें।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 13.05.2025 को होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2024 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार खण्डेला को आदेश दिये गये कि ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का गुरारा तहसील खण्डेला के ख0नं0 594 रकबा 0.16 है0, ख0नं0 595 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 596 रकबा 0.28 है0 सम्पूर्ण व ख0नं0 597/1 रकबा 0.37 है0 कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण किये जाने एवं खातेदार की भूमि पर संबंधित खातेदार के हर्जा खर्चे पर सीमा विभाजक रोपित करवाये तथा थानाधिकारी खण्डेला वक्त कार्यवाही मौके पर आवश्यकतानुसार पुलिस इमदाद उपलब्ध करावें।

उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2024 एवं तहसीलदार खण्डेला, जिला सीकर के आदेश दिनांक 11.11.2024 की पालना में दिनांक 16.04.2025 को भू अभिलेख निरीक्षक खण्डेला वरलावता, पटवारी हल्का बरसिंहपुरा व गुरारा द्वारा उक्त खसरों में मौके पर नायब तहसीलदार खण्डेला की मौजूदगी व उपस्थित में एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एसएचओ खण्डेला द्वारा भेजा गया पुलिस जाप्ता मौके पहुँचा। ग्राम सुखपुरा के ख0नं0 594, 595, 596, 597/1 की पत्थरगढी पूर्व में दिनांक 22.03.2023 को करवाये गए सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थर उक्त खसरों की सीमाओं पर गड़वाये गए। मौके पर किसी प्रकार का विवाद होना नहीं पाया गया। मौका फर्द तैयार कर पढकर एवं सुनाकर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.11.2024 पारित कर विवादित आराजी की पत्थरगढी करने के आदेश प्रदान किये गये है। उक्त पत्थरगढी के आदेश की पालना में दिनांक 16.04.2025 को मौके पर खसरा नंबर 594, 595, 596, 597/1 की पत्थरगढी की जा चुकी है, जब अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.11.2024 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य है।

<u>अतः आदेश है</u> कि अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 04.11.2024 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर